(207)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल

ग्वालियर खण्डपीठ रीवा म0प्र0

R-4254-II/13

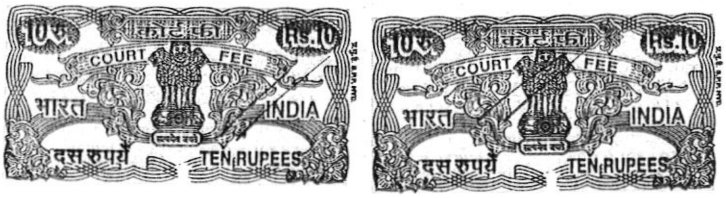

583
28.9.13

श्री मोतीलाल पाठक तनय श्री रघुनाथ प्रशाद पाठक उम्र 80वर्ष निवासी ग्राम बगहा तहसील रघुराजनगर सतना म0प्र0--निगराकार

बनाम

श्रीमती सुभद्रादेवी पत्नी श्री समयलाल दुबे निवासी ग्राम बगहा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ------गैरनिगराकार

राजस्व पुर्ननिरीक्षण अन्तर्गत धारा 50
म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 न्यायालय
श्रीमान अपर कलेक्टर महो0 सतना
के प्र0क0 36/निगरानी/11-12
आदेश दिनांक 05.09.13

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार पुर्ननिरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर विनय है:- संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है! -

01- पुर्ननिरीक्षणकर्ता/प्रार्थी आ0नं0 135/1 रकवा 0.02एकड़ एवं उस पर स्थित पक्का मकान का मालिक भूमिस्वामी है आ0मौजा बगहा तहसील रघुराजनगर जिला सतना में स्थित में स्थित है सरहदी कृषक अनावेदक की ओर से आ0नं0 135/3, 134/3, 134/959/2 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर प्रार्थी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई थी परन्तु उसकी आपत्ति खारिज कर सीमांकन की पुष्टि विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.06.10 को कर दी गई है विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने पुर्ननिरीक्षण प्रस्तुत

मोतीलाल पाठक 02

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0. R.4254–II / 2013 जिला–सतना

मोतीलाल पाठक / सुभद्रा देवी

(1)	(2)	(3)
22.08.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री एड0 उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है, कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	